

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छ.ग. राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान
समिति, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2263708,
eklavya.ctd@gmail.com

Fax No.-2262558,

www.tribal.cg.gov.in,

Email-

क्रमांक/EMRS/ 562 /2017-18 //1638
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 25/01/2018

कलेक्टर/अध्यक्ष,

जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
जिला-सरगुजा/सूरजपुर/जशपुर/रायगढ़/दंतेवाड़ा/बस्तर/कांकेर/नारायणपुर/
कोण्डागांव/बिलासपुर/कबीरधाम/राजनांदगांव/कोरिया/बीजापुर/कोरबा/गरियाबंद/
धमतरी/बलरामपुर/सुकमा/बालोद/बलौदावाजार/महासमुंद/मुंगेली एवं जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विषय :- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन दिनांक 08.04.2018 दिन रविवार।

—00—


उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। उक्त संस्थाओं में प्रति-वर्ष की भांति शिक्षण सत्र 2018-19 में प्रति विद्यालय में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन कर प्रावीण्यता के आधार पर 60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। अतएव योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 में कक्षा 6 वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा आयोजन संबंधी प्रवेश नीति एवं आवेदन पत्र एवं चेक लिस्ट का प्रारूप संलग्न प्रेषित है। विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:-

1. चयन परीक्षा दिनांक 08.04.2018 दिन रविवार को प्रातः 10:30 से 12:30 तक आयोजित किया जाये।
2. परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण पर्याप्त समय पूर्व पर किया जाकर विद्यार्थियों एवं शालाओं तक जानकारी पहुंचाया जाए।
3. प्रवेश पत्र समय पर जारी कर शालाओं/अभिभावकों तक पहुंचाया जाए।
4. प्रवेश परीक्षा संबंधी निर्देश शाला स्तर तक पहुंचाते हुए समाचार पत्रों एवं व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। फील्ड स्तर के कर्मचारी यथा मंडल संयोजक, सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, सी.ए.सी., सी.आर.सी आदि के माध्यम से जानकारी शालाओं तक पहुंचाया जाए एवं अभिभावकों को इस संबंध में जागरूक किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रतिभावान बच्चे इस योजना का लाभ ले सकें।
5. परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राध्यक्ष नियुक्त करते हुए सभी कर्मचारियों को इस परीक्षा योजना के बारे में प्रशिक्षित किया जाए।
6. परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राध्यक्ष एक शिक्षक तथा एक अशासकीय व्यक्ति के समक्ष प्रश्न पत्र के लिफाफे को परीक्षा चालू होने के 20 मिनट पूर्व खोला जाकर हस्ताक्षर युक्त लिफाफा सुरक्षित रखा जाये।
7. बच्चों को वितरित प्रश्न पत्रों में ड्यूटी कर रहे पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर कर नाम एवं पद नाम, पदस्थापना स्थान सहित उल्लेखित किया जाए।
8. परीक्षा आयोजन संबंधी समस्त कार्य बहुत सावधानी एवं गोपनीयता से किया जाये फर्जी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से रोका जाये। इसमें किसी प्रकार की गड़गड़ी होने पर संबंधितों की जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासन की कार्यवाही किया जावे।
9. उत्तर पुस्तिकों का मूल्यांकन हेतु पर्यवेक्षकों के अलावा अन्य शिक्षकों को लगाया जाये एवं उत्तर पुस्तिकाओं का जांच निष्पक्षता पूर्वक कराया जाए।
10. चेक लिस्ट में दिये गये दिनांकवार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए नवीन शिक्षण सत्र 2018-19 हेतु नियमित कक्षाएं शासन के निर्देशानुसार प्रारंभ कराना सुनिश्चित किया जाए।

11. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर संपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम के सफल संचालन एवं नियंत्रण हेतु एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी को प्रेक्षक नियुक्त किया जाए।

अतः प्रवेश की कार्यवाही पूर्व कराकर पालन प्रतिवेदन अघोहस्ताक्षरकर्त्ता को उपलब्ध कराया जाए। प्रवेश संबंधी कार्यवाही एवं आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट WWW.tribal.cg.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



24/1/18
(रीना बाबासाहेब कंगाले)
आयुक्त / पदेन सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान
इन्द्रावती भवन नया रायपुर, (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / EMRS / 562 / 2017-18 / 11639
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 25/01/2018

1. सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला-सरगुजा/सूरजपुर/जशपुर/रायगढ़/दंतेवाड़ा/बस्तर/कांकेर/नारायणपुर/कोण्डागांव/विलासपुर/कबीरघाम/राजनांदगांव/कोरिया/बीजापुर/कोरबा/गरियाबंद/धमतरी/बलरामपुर/सुकमा/बालोद/बलौदाबाजार/महासमुंद/मुंगेली एवं जांजगीर-चांपा (छ.ग.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाए।
3. प्राचार्य/उपप्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय..... जिला..... छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


24/1/18
आयुक्त / पदेन सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान,
इन्द्रावती भवन नया रायपुर, (छ.ग.)

(8) प्रवेश पत्र :-

निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र पाये गये आवेदकों को चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र भेजा जावेगा। चयन परीक्षा की तिथि तक प्रवेश पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में परीक्षा के पूर्व आवेदक आवेदन पत्र जमा करने की पावती प्रस्तुत कर परीक्षा केन्द्रों से प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त कर सकेंगे।

(9) चयन परीक्षा के संबंध में

(i) चयन परीक्षा का दिनांक :- 08.04.2018 | समय :- प्रातः 10:30 से अपरन्ह 12:30 |

(ii) परीक्षा केन्द्र :-

प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन जिन जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं, वहां के जिला मुख्यालयों में किया जायेगा। चयन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में अंकित केन्द्र में परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा केन्द्र में संशोधन करने का आवेदन किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं किया जायेगा। विना प्रवेश पत्र के कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। प्रवेश पत्र जारी करने का अधिकार सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं संस्था के प्राचार्य के होंगे। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र, आधार कार्ड या परिचय पत्र लाना आवश्यक होगा।

(iii) परीक्षा का माध्यम :-

चयन परीक्षा का माध्यम हिन्दी होगा।

(iv) प्रश्न पत्र का निर्माण :-

चयन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र का निर्माण विभागीय विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा आयुक्त/पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छ.ग. द्वारा किया जायेगा।

(v) प्रश्न पत्रों का प्रकार :-

प्रश्न पत्रों का निर्माण 04 (चार) अलग-अलग अ, ब, स, द, सेटों में तैयार किया जायेगा। कुल सम्मिलित छात्र/छात्राओं के अनुपात से अलग-अलग सेट के प्रश्न पत्र दिये जावें।

(vi) परीक्षा की संरचना :-

कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा प्रश्न पत्र कुल 04 खण्डों में होगा। प्रत्येक खण्ड में से 25-25 वस्तुनिष्ठ/लघु उत्तरीय प्रश्न 100 अंको के होंगे प्रत्येक प्रश्न के 01 अंक होंगे:-

खण्ड	विषय का विवरण	प्रश्नों की संख्या	अंक
अ	गणित	25	25
ब	अंग्रेजी	25	25
स	हिन्दी	25	25
द	पर्यावरण	25	25
	योग	100	100

(vii) उत्तर पुस्तिका :-

- उत्तर देने के लिए अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। प्रश्न पत्र में ही निर्धारित स्थान पर उत्तर अंकित किये जा सकेंगे।
- उत्तर अंकित करने हेतु बाल पेन का उपयोग किया जा सकेगा, पेन्सिल का उपयोग वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र में पेन परीक्षार्थी स्वयं लेकर आयेंगे।
- प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ/लघु उत्तरीय प्रकार का होगा एवं प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे। सही विकल्प के उत्तर को निर्धारित स्थान पर लिखना होगा तथा सही उत्तर पर गोला (o) का निशान लगाना होगा। अन्य निशान मान्य नहीं किया जायेगा।
- एक बार उत्तर अंकित करने के पश्चात् उत्तर बदलने के लिए पहले उत्तर में क्रास का चिन्ह अंकित करने के बाद सही उत्तर में गोला का निशान लगाना होगा।
- उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन प्रणाली नहीं होगी।

निरंतर.....

(viii) उदाहरण :-

1. 56 तथा 32 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।

प्रथम विचार

- | | |
|------|-------|
| 1. 4 | 2. 20 |
| 3. ⑧ | 4. 14 |

उपरोक्त उदाहरण में सरल क्रमांक-3 का उत्तर मान्य किया जायेगा।

2. छत्तीसगढ़ की राजधानी है (रिक्त स्थान की पूर्ति करें)

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. रायपुर | 2. बिलासपुर |
| 3. दुर्ग | 4. महासमुंद |

(viii) उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन :-

चयन परीक्षा के परिणाम 08.04.2018 अप्रैल तक घोषित कर दिया जायेगा परीक्षा परिणाम का प्रदर्शन जिला कार्यालय, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं संबंधित एकलव्य विद्यालय में किया जावेगा।

(10.) चयन एवं प्रवेश :-

1. चयन परीक्षा के आयोजन हेतु जिला स्तर पर समिति तथा प्रवेश हेतु शाला स्तर पर प्रवेश समिति का गठन किया जाए।
2. चयनित आवेदकों को प्रवेश के समय समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों तथा कक्षा 5वीं उत्तीर्ण की अंकसूची की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रवेश के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय जिला स्तरीय समिति का मान्य किया जायेगा।
4. चयन परीक्षा में प्राप्तियों के मेरिट अंकों के आधार पर चयन किया जावेगा। चयन परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं होगा।
5. चयन परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को केवल उन्हीं संस्थाओं में प्रवेश दिया जायेगा, जहां के लिए उन्होंने आवेदन किया है।
6. प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. चयन परीक्षा में चयनित एवं असफल उम्मीदवारों के अंक गोपनीय रखे जायेंगे।
8. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेशित एवं अध्ययनरत छात्र/छात्राएं यदि किसी वर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उन्हें पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
9. परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को 15 दिवस के भीतर संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
10. प्रवेश के समय निम्नानुसार दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा :-

अ. कक्षा पांचवी की अंकसूची।

ब. शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र।

स. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र।

द. अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र।

इ. जिला चिकित्सालय बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

प. आधार कार्ड का छायाप्रति।

(उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों की मूल एवं सत्यापित प्रति लाना अनिवार्य होगा)

निरंतर.....


(11) छात्रावास सुविधा :-

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पूर्णतः आवासीय शिक्षा संस्था है। विद्यालय में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को छात्रावास में निःशुल्क आवास एवं शिष्यवृत्ति की राशि में से भोजन की व्यवस्था की जावेगी।

(12). शिष्यवृत्ति एवं अन्य सुविधा :-

क्र.	विवरण	मात्रा	दर
1.	2.	3.	4.
1.	शिष्यवृत्ति	—	900 रु. प्रति माह
2.	पोषण आहार	—	300 रु. प्रति माह
3.	शाला गणवेश	02	800 (02 सेट)
4.	टी.शर्ट एवं शॉर्ट्स, ब्लेजर	01	200-200-600
5.	पी.टी. शूज/जूता	02	400
6.	मोजा	02	100
7.	अंडर वियर	02	100
8.	बनियान	02	100
9.	टावेल (2 नग)	01	100
10.	टाई एवं बेल्ट	01	100
11.	दूधब्रश, पेस्ट, नारियल तेल	—	50 प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी
12.	पाठ्य पुस्तक/कापियाँ	—	500 रु. प्रति विद्यार्थी, हाई स्कूल तथा 1000 रु. प्रति विद्यार्थी उ.मा.वि. स्तर प्रति वर्ष
13.	यात्रा व्यय	—	200 प्रति वर्ष
14.	चिकित्सा व्यय	—	वास्तविक

विद्यालय में कम्प्यूटर/विज्ञान लैब एवं पुस्तकालय के साथ-साथ प्रतिभावान खिलाड़ी छात्र-छात्राओं हेतु क्रीड़ा सामग्री एवं प्रशिक्षित व्यायाम अनुदेशकों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जावेगी।


24/1/18
(रीना बाबासाहेब कंगाले)
आयुक्त/ पदेन सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर (छ.ग.)